

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2/2** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt exy f=i kBlh i# Jh prmlqt f=i kBlh
fuokl h&xte o i k V&cMxgu]
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **468** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/2** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	54933.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	322095.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	316789.00

योग रू0 693817.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10493.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15926.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 26419.00

egk; kx : 0 720236.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/11** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l qhy dely i# Jh dfi y no
fuokl h&xte&fol Egjl]
i k V&cjl h d jhxat %
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **466** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/11** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	34.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	898.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						932.00

egk; kx : 0 **932.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/9** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jfo'kdj fl g i# Jh deyt fl g
fuokl h&xte o ikl V&Nfi: k/
ft yk&xlg [ki g&273016*

आवंटन पत्र सं0 **465** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/9** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	26.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						37.00

egk: kx : 0 **37.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-6/2** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

Jh dmkj ukFk i# Jh ; kxdknz i d kn
fuokl h&Mh&58] U; w xhMk vkokl h; dkykukh]
/ DVj&05] xhMk]
xkj [ki j&A

आवंटन पत्र सं0 **460** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/2** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	33.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	899.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	932.00
---------	---------------

egk: kx : 0	932.00
-------------	---------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/5** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh mekulln i# Lo0 jke I #kx
fuokl h&fcylhig]
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **453** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/5** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	8.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	362.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	697.00

योग रू0	1067.00
---------	----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	16.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	35.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	51.00
---------	--------------

egk: kx : 0	1118.00
-------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/1** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh i uue ik. Ms i Ruh Jh i eln dekj ik. Ms
fuokl h&Mh&21] xly [ki g vks/ h; ; kst uk]
/ DVj / q: k&05,
xhMMj xly [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **455** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/1** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	26871.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	488175.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	419265.00

योग रू0	934311.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14130.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	21078.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	35208.00
----------------	-----------------

egk: kx : 0	969519.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/9** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh yhykorkh nah i Ruh Jh fot; cglkj JhokLro
fuokl h&xte o ikl V&velkfkl
ft yk&xlg [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **449** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/9** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	39124.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	247125.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	204525.00

योग रू0 490774.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7422.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10282.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17704.00

egk; kx : 0 508478.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/10** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jlekU; ek\$Z i# Lo0 igykn
fuokl h&xte&uokl]
i k V&cMxgu]
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **450** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/10** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	22802.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	122182.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	145200.00

योग रू0 290184.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4389.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7300.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 11689.00

egk; kx : 0 301873.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/8** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh ftrdnz i q Jh jkeno plskjh
fuokl h&xte&l kMk] i k1V&djenok]
Fkkuk&fl djhxat] rgl hy&[ktuh]
f tyk&xlg [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **448** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/8** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5367.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	194223.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	171574.00
योग रू0				371164.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5613.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8626.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						14239.00

egk: kx : 0 **385403.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-3/3** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh I xhrk nph i Ruk Jh foukn dphj
fuokl h&xte&xt; ?kV]
i k V&MjokW/cMgyxat 1/
ft yk&xlg [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **443** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/3** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	2.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	4.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				6.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						0.00

egk; kx : 0 **6.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2/8** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh iou dely ik.Ms i# Jh /ku'; ke ik.Ms
fuokl h&ckl ikj]
ikL V&fi i jkSyh]
ft yk&xkj [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **440** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/8** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38739.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	244681.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	202500.00

योग रू0 485920.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7349.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10180.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17529.00

egk; kx : 0 503449.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक [] / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-3/1** से0 **5 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jke ujk; u fl g i# Jh Hkxoku nkl]
fuokl h&xte&xlg Mhg]
ikl V&egf-kj lgtuok]
ftyl&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **441** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/1** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	54654.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	218440.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	436629.00

योग रू0 709723.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10733.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	21951.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 32684.00

egk; kx : 0 742407.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/2** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh x; kl qnlu i q Jh uj ekqfen
fuokl h&fpyeki j]
ll; wf'koijh dkykuh]
ft yk&xkj [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **442** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/2** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	34162.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	197888.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	199862.00

योग रू0	431912.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6532.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10048.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	16580.00
----------------	-----------------

egk; kx : 0	448492.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-2/4** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fode dely i# Jh f'kothr fo'odelz
fuokl h&xte o ikl V&cMxguj
ft yk&xlg [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **437** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/4** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	34435.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	217493.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	180000.00

योग रू0 431928.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6532.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9049.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 15581.00

egk; kx : 0 447509.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/4** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh el'twf=i kBl i Ruh Jh xlg [kultFk f=i kBl]
fuokl h&dk/gp/]
xlyt/
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **426** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/4** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38952.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	246038.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	203625.00

योग रू0 488615.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7389.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10237.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17626.00

egk: kx : 0 506241.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-1/5** से0 **5** / **2023-2024** /दिनांक

*Jherh vuhrk feJk iRuh Jh l at; d;ekj]
fuokl h&xte o ikl V&iMfj; kj
ok; k exgj,
fityl&l r dchj uxjA*

आवंटन पत्र सं0 **427** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/5** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38952.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	246038.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	203625.00

योग रू0 488615.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7389.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10237.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17626.00

egk; kx : 0 506241.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/10** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh iekn dely ik.Ms i# Jh
xte&ck<# cqt qj
ik V&d's koki kj
ft yk&xlg [ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **17** दिनांक **02/03/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/10** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5830.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	82005.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	115872.00

योग रू0 203707.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3081.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5825.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 8906.00

egk; kx : 0 212613.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/13** से0 **5** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh ftrdnz dely fl g i# Lo0 jke cgnj fl g
fuokl h&xte& [kjh]
ikl V&djenok/
fityl&xky [ki jA*

आवंटन पत्र सं0 **434** दिनांक **16/01/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/13** से0 **5** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	53169.00

योग रू0	53169.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3993.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6263.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	10256.00
---------	-----------------

egk: kx : 0	63425.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **BL-6A** से0 **7 / 2023-2024** / दिनांक

Jh /kuqk/kkjh ik. Ms i# Jh nhuk ukFk ik. Ms]
fuokl h&xte o ikl V&cMxgu/ rgl hy&lgtuok
ft yk&xkj [ki j]
m0 iD 273212

आवंटन पत्र सं0 **826** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **BL-6A** से0 **7** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	19689.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	813613.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1690204.00
योग रू0				2523506.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	38164.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	339888.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	845102.00

योग रू0 1223154.00

egk; kx : 0 **3746660.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **BL-6** से0 **7 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh nhfkk i k. Ms i Rulh Jh /kufk/kkj h i k. Ms
fuokl h&xte o i k V&cMxgu/ Fkkuk&xMMj
rgl hy&lgtuok
ftyl&xkj [ki j] m0 iD 273212*

आवंटन पत्र सं0 **825** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **BL-6** से0 **7** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	16904.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	789296.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1626435.00
योग रू0				2432635.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	36789.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	360458.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	923924.00

योग रू0 **1321171.00**

egk: kx : 0 **3753806.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

dk l;:/ xkj/ki g vk\$ kxd fodkl i k/kdj. 1
1 DVj&7/ xlm/ xkj/ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-1 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

Jh jk k ves fo0e fl g i q Jh jk k l R i zdk'k fl g
fuokl h&866l l/ elgnnhi g/ plj QkVd j kM
i kV vkQl ds i kl / [kjkclj mQZl wkkt kj/
xkj/ki gA

आवंटन पत्र सं0 699 दिनांक 30/01/2015 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-1 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	2580214.00
			योग रू0	2580214.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	66937.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	162396.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	229333.00

egk l; : 0 2809547.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-8/16** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jlerh jkuh ek\$ Zi Ruh Jh jes\$ ek\$ Z
fuokl h\$ x\$&frugj\$ i k\$V&fi i jk\$ /h
Fluk&l gt uok\$
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **637** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/16** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1145.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	3.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				1148.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						17.00

egk l; : 0 **1165.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-6/9** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jherh verk nah i Ruh Jh jkt ho ; kno
fuokl hkedku 1 d; k 78/ yppZvkl' kcl/
I gt uok
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **624** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/9** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	111017.00

योग रू0 111017.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2537.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5907.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 8444.00

egk l; : 0 119461.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/13** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh nhukukfk i q Jh cgjbph
fuokl h\$ x\$e&fi i jk
i h\$V&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **607** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/13** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	37414.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	220737.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	214132.00

योग रू0 472283.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7142.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10765.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17907.00

egk l\$: 0 490190.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-8/40** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh iou d;lj e) f'k k i& Lo0 nork id kn
fuokl h&x&ds'ki g/ oMl d; k&7/
I gt uok
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **653** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/40** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	71883.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	428054.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	406687.00

योग रू0	906624.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13711.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	20445.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	34156.00
----------------	-----------------

egk l; : 0	940780.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/49** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh nork id kn frokjh i& Lo0 dfi y n& frokjh
fuokl h&egYk&Hkj) kt i&e legpZl qkj i g 1/2
i kV&f' koi gh ubZdky kulj
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **694** दिनांक **10/02/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/49** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	31196.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	183201.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	179550.00

योग रू0 393947.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5958.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9027.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 14985.00

egk l; : 0 408932.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/50** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh I fork feJk i Ruh Jh vfk'kd feJk
fuokl h&vkt kn uxj 1/2 Lrei g 1/2
i kV&f'koigh ubZdky/kulj
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **695** दिनांक **10/02/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/50** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	31984.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	190098.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	181387.00

योग रू0 403469.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6102.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9119.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 15221.00

egk lq : 0 418690.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/1I** से0 **13 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh fd'lp no ; kno iq Lo0 jkefgr ; kno
fuokl h\$xe&ckDVH
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **681** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/1I** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	62995.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	417313.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	396500.00

योग रू0	876808.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13260.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	19933.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	33193.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	910001.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/33** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh eqkhyky iq Lo0 jkeer
fuokl h\$xd&l l\$ki kj/
i h\$V&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **735** दिनांक **01/10/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/33** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	181.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4799.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						4980.00

egk l\$: 0 **4980.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/37** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh ckjkte ; kno i q Jh fo'ouk\$; kno
fuokl h\$ x\$&gj / ki g h
i h V&M\$ej h
ft yk&egjkt x\$*

आवंटन पत्र सं0 **688** दिनांक **10/02/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/37** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	44179.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	279148.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	230833.00

योग रू0	554160.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8381.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11605.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	19986.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	574146.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-6/38** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh jlekulh fu"kn i& Jh ljt gky fu"kn/
fuokl h&x&t qM; ku okMZu0&12/
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **689** दिनांक **10/02/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/38** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	27.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	859.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						886.00

egk l; : 0 **886.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i h / kj .
 1 DVj & 7 xlmj xkj / kj & 273212
 Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-7/27 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh deys'k d'kj i x ki fr i q Jh ygq' h i x kn i x ki fr
 fuokl h x x k & # n i g x k ? k k /
 i k V & / k t u l /
 f t y k & x k j / k i g A

आवंटन पत्र सं0 713 दिनांक 19/03/2015 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-7/27 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	30.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				30.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						0.00

egk lq : 0 30.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
 गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/41** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l qkl eYykg i\$ Jh [l\$kdM eYykg
fuokl l\$xd & veV\$H
i\$ V & veV\$H l gt uokM
ft yk & xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **718** दिनांक **19/03/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/41** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	37901.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	183034.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	265226.00

योग रू0	486161.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7352.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13334.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	20686.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	506847.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-7/28 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh deysk i t ki fr i q Jh yggh i t kn i t ki fr
fuokl h&x&#na g xk ?kV/
i hV&/kt ul/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 714 दिनांक 19/03/2015 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-7/28 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	155703.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	869169.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	949987.00

योग रू0 1974859.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	29866.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	47759.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 77625.00

egk l; : 0 2052484.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-5/1D** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh jk/k; le ik M\$ i& Jh t;jke ik M\$
fuokl h&x& o iH V&Nrkb/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **706** दिनांक **19/03/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/1D** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	27499.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	133501.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	191608.00

योग रू0	352608.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5333.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9633.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	14966.00
---------	-----------------

egk l; : 0	367574.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/60** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh dq q i Ruh Jh chy; lxs'oj frokjh
fuokl h&x&eqMk dkljh
rgl hy&l gt uoh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **726** दिनांक **19/03/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/60** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	91317.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	539212.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	522077.00

योग रू0 1152606.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17431.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	26246.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 43677.00

egk l\$: 0 1196283.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/43** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l qhrk noh i Ruh Jh jkds k xhrk
fuokl h\$xe&jfgekkn l j\$ h
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **651** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/43** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	34.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1002.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1036.00

egk l\$: 0 **1036.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/28** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vfuy d\$kj fl g i\$ Jh jkt \$hzfl g
fuokl h\$xd&d\$yd j/
i hV&l gt uok\$
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **646** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/28** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	2.00
योग रू0				2.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						0.00
egk l\$: 0						2.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/19** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh j?lqkfk i q Jh l R; uljk u
fuokl h&edku l q; k 228/
xte&fi i jkyh ct q? Fkkuk&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **640** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/19** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	2724.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	20302.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	10557.00

योग रू0	33583.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	508.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	531.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	1039.00
---------	----------------

egk l\$: 0	34622.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/20** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; i q Jh l R uljk u
fuokl h&edku l q; k 228/
xte&fi i j k y h c q x Z Fkuk&l gt uokW
ft y k&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **641** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/20** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	862.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	4431.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	5714.00

योग रू0	11007.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	166.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	287.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	453.00
---------	---------------

egk l; : 0	11460.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/31** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vejukfk; kno i q Jh nqkukfk; kno
fuokl h\$ x\$ o i h\$V&fH\$V/lj\$or/
H\$ i golk
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **686** दिनांक **31/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/31** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	72940.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	407165.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	445023.00
योग रू0				925128.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13991.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22373.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						36364.00

egk l\$: 0 **961492.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/57** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh HMLdj i k M\$ i q Jh j? lqkl\$ i k M\$
fuokl h\$ x\$ & Mgfj; k dyh
i k V & feukl / gt uokl
ft yk & xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **678** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/57** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	39039.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	232478.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	220875.00

योग रू0 492392.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7447.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11104.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 18551.00

egk l\$: 0 510943.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-8/18 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh dne jl y vdkjh i& Jh chlr vdkjh
fuokl h&x&gjiq/ iH/V&gjiq cmgV/
I gt uok
ft yk&xkj/kiqA*

आवंटन पत्र सं0 **639** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/18** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	268856.00

योग रू0 268856.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5289.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13752.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 19041.00

egk l; : 0 287897.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/55** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l l\$Hk x\$rk i q Jh l q\$ k i d kn x\$rk
fuokl h&okMzu0&8/ nku / kj uxj i pk r/
ckl/xkl/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **676** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/55** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5564.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	13966.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	51154.00

योग रू0	70684.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1069.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2572.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	3641.00
---------	----------------

egk l\$: 0	74325.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/7** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh vejlorh i Ruh Jh gjljke xfrk
fuokl h&x& o i h&V&dV?kj / kt ulf
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **630** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/7** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	66315.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	379330.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	393715.00

योग रू0 839360.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12694.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	19793.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 32487.00

egk l\$: 0 871847.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/8** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l qhorh noh i Ruh Jh l jt wi d kn
fuokl h&x&xlgl km
l gt uoh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **619** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/8** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	14090.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	72001.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	93888.00

योग रू0 179979.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2722.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4720.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 7442.00

egk l\$: 0 187421.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/4** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh vt yh jk i Ruh Jh Hk'dj i k M\$
fuokl h\$xt&Mgfj; k dyh
i k V&feuoH Fkuk&l gt uokW
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **614** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/4** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	48127.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	288514.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	270000.00
योग रू0				606641.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9174.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13574.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						22748.00

egk l\$: 0 **629389.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/24** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l qe fl g i Ruh Jh g e l r fl g
fuokl h e x k e , o a i h V & f i i j k y h c k t k j /
f t y l e x k j / k i g A*

आवंटन पत्र सं0 **604** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/24** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	19428.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	148879.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	181330.00

योग रू0	349637.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5288.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9116.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	14404.00
---------	-----------------

egk l x : 0	364041.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-5/30** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh C/kl plhzi& Lo0 ekrk cny
fuokl h&x& j?hpk/ki g/ i kV&gjigcngV/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **538** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/30** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	16.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	16.00
---------	--------------

egk l; : 0	16.00
------------	--------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/29** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh eknh nws i Ruh Jh t; d".k nws
fuokl h&747vkj/
jle t kudh uxj,
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **501** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/29** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	114830.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	717704.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	609300.00

योग रू0	1441834.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	21805.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	30631.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	52436.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	1494270.00
--------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/16** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh nkfu 'k t eky i q Jh j 'knqykg
fuokl h&U' wdky kuh fpyeki g/
i hV&f' koigh #Lrei g/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **569** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/16** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38911.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	244130.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	205336.00

योग रू0 488377.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7386.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10323.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 17709.00

egk lq : 0 506086.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/22** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh cgeno ; kno i q Jh l gt q; kno
fuokl h\$ x\$ & dkyd j/
i h\$ V&l gt uokl
ft yk\$ xkj / ki q A*

आवंटन पत्र सं0 **575** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/22** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	252.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	32.00

योग रू0 308.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 7.00

egk l\$: 0 315.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / ki g vk\$ kxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/5** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jh of'k'B efu ; kno i q Lo0 jkeyxu ; kno
fuokl h&x&ckDVH
I gt uoh
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 **584** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/5** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24826.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	148891.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	139207.00

योग रू0 312924.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4732.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6998.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 11730.00

egk lq : 0 324654.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/47** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l g's k d'qj i q Jh f'ko ulhu
fuokl h&, e&481/
eakly i gh ulFkZ
o dV fnYyh&110083*

आवंटन पत्र सं0 **554** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/47** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1010.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	72.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	745.00

योग रू0 1827.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	28.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	37.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 65.00

egk lq : 0 1892.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/39** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jherh f'Wi h eYy i q-h Jh l qh j d qh j eYy
fuokl h&edku l q; k&250/ ds j vk\$ yhykorh fl g/
xk =hi ge hi Mjk j l Mjk
dl ; h nofj; k

आवंटन पत्र सं0 **546** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/39** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	51947.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	324670.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	275636.00
योग रू0				652253.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9864.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13857.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						23721.00

egk lq : 0 **675974.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/41** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l k\$Hk fl g i\$ Jh jke l eq fl g
fuokl h&edku l q; k&339/
VlOMO, e0 frjkg\$ vygnkni g/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **548** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/41** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	99.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	438.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	726.00

योग रू0 1263.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	19.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	36.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 55.00

egk l\$: 0 1318.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-5/33 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh eprkt i& Jh gfQt dylg
fuokl l;xd o iH V&cMxgu/
Fluk&l gt uokW
ft yk&xkj/ki g*

आवंटन पत्र सं0 **540** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/33** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	4144.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	10567.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	67040.00
योग रू0				81751.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1236.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3370.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						4606.00

egk l; : 0 **86357.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / ki g vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1

1 DVj&7/ xlm/ xkj / ki g&273212

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/34** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l fppnkulh fl g i q Jh jkepLhzfl g
fuokl h&x& o i hV&H& oy/
Fluk&clm/xlm/
ft yk&xkj / ki g&273403*

आवंटन पत्र सं0 **541** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/34** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	10810.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	103925.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	259312.00

योग रू0 374047.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5657.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13036.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 18693.00

egk l\$: 0 392740.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/36** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vfer d\$kj ; kno i\$ Jh n; kulh ; kno
fuokl h\$xd&t xnh'ki g/
i h\$V&l gt uok\$
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **543** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/36** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	16085.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	246450.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	293838.00

योग रू0 556373.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8414.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14772.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 23186.00

egk l\$: 0 579559.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-5/26 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jherh gk'kyk nsh i Ruh Jh f'kyky/
fuokl h&x&nkgl/
i hV&cji kj/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **536** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/26** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	7428.00

योग रू0 7428.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	142.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	429.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 571.00

egk l; : 0 7999.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/11** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh iekn dely iq Jh nph/kh id kn
fuokl h\$xt&cjik/ ygjok\$
i hV&fcgljh c\$ q\$ Fkkuk&/kt ulj
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **524** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/11** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	13439.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	61137.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	98516.00

योग रू0 173092.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2618.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4953.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 7571.00

egk l\$: 0 180663.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-5/2 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jherh mfe; k noh 'hpyk i Ruh Lo0 jk/k'; le 'hpy
fuokl h&blhuxj/
fudV&pEi k noh i kdZ
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **517** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/2** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	152846.00

योग रू0	152846.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2558.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7819.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	10377.00
---------	-----------------

egk l; : 0	163223.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-7/8** से0 **13 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh t h'ku va kjh i& Jh bdjke mYykg
fuokl h&ekYy&cf[r; kj/
fudV&t kQjk ckt kj/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **562** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/8** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	10.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	18.00
योग रू0				28.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1.00

egk l; : 0 **29.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/30** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l hrljke i q Lo0 jke v/kj/
fuokl h&x& o i hV&jlori kj mQZl j\$ k
xlmj l gt uokW
ft yk&xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **580** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/30** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	118596.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	724780.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	646530.00

योग रू0	1489906.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22532.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	32503.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	55035.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	1544941.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-4/22 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jherh vp\$kk i Ruh Jh jkt ho d\$kj
fuokl h&edku 1 q; k&22/
cukjl h nkl LV\$ rleki g/
fnYyl&54*

आवंटन पत्र सं0 **494** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/22** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	143111.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	894455.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	759375.00

योग रू0	1796941.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	27176.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	38176.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	65352.00
---------	-----------------

egk l; : 0	1862293.00
------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/23** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt ho dphj i q Jh l q\$ k i d kn ; kno
fuokl h&edku l q; k&22
cukjl h nkl LV\$ / rleki g /
fnYyl k&110054*

आवंटन पत्र सं0 **495** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/23** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	143430.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	896442.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	761062.00

योग रू0	1800934.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	27236.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	38261.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	65497.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	1866431.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/13** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh fdju feJk i Ruh Jh l qly dely feJk
fuokl h&10Vh bfhjk uxj 4l wig'k
i kV&U; w' koigh dkykuf
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **485** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/13** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	158686.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	982538.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	862545.00

योग रू0	2003769.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	30304.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	43363.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	73667.00
---------	-----------------

egk lq; : 0	2077436.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-4/14** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh l mhy dphj feJ i k Jh ' ; k e gkh h feJ
fuokl h&10&Vh bfhjk uxj j l wi g k
i k V&U; w' koi gh dky kull
ft yk&xkj/ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **486** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/14** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	155167.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	978203.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	862735.00
योग रू0				1996105.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	30188.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	43372.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						73560.00

egk l; : 0 **2069665.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/3** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vouh'k d\$kj i k M\$ i q Jh xak-h id kn i k M\$
fuokl h\$ xk&frugj h\$
i h\$V&fi i j l\$ h\$ Fkkuk&l gt uok\$
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **475** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/3** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	3.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				3.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	91.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2087.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 **2178.00**

egk l\$: 0 **2181.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/4** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh v#. lk ik M\$ i Ruh Jh vouh'k d\$kj ik M\$
fuokl h\$xe&frugj\$ i h\$V&fi i jk\$ / h
Fluk&l gt uok\$
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **476** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/4** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	24.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1345.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1369.00

egk l\$: 0 **1369.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / ki q vk\$ l\$xd fodkl i\$ / kdj. 1
1 DVj & 7 / xlm / xkj / ki q & 273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-4/5 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh jfolhz d\$kj i\$ Jh igykn
fuokl h\$ x\$ & l\$ j / i\$ V & t\$ i\$ q /
rgl hy & l\$ gt uok
ft yk & xkj / ki q A

आवंटन पत्र सं0 477 दिनांक 31/03/2014 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-4/5 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	47465.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	203842.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	362368.00

योग रू0 613675.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9281.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	18217.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 27498.00

egk l\$: 0 641173.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-4/46** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jk/k; le vks k i q Lo0 jke l gr vks k
fuokl h&fl) h&lxj/
rkjle. My jk\$
xhj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **516** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/46** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	26.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	76.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	662.00

योग रू0	764.00
---------	---------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	33.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	45.00
---------	--------------

egk l\$: 0	809.00
-------------	---------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/1** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh gl u\$ i q Lo0 u\$ eg\$en
fuokl h&fi i jk\$-h
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **590** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/1** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	8389.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	62500.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	464163.00
योग रू0				535052.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8092.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23335.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						31427.00

egk lq : 0 **566479.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/31** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jle xki ky f=i lBh i q Jh fxjh'k f=i lBh
fuokl h&81, / deys'ki qe/
i lV&enu elgu ekyoh, ba lfu; fja dkyt /
xkj / ki qA*

आवंटन पत्र सं0 **503** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/31** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	370.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	937.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	3229.00
योग रू0				4536.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	69.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	162.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						231.00

egk l\$: 0 **4767.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **AL-5/5A** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

egk l; wt; egkdky } jk jh jlekKk; kno 1 k>nhj 1/2 i& Jh t.
iH V&l gt uoH Wft yk&xhj/ki g/ Jh egHzi rki uljk. k 1 k>n
, oaJh plhzi rkk; kno 1 k>nhj 1/2 i& Jh yky cgknj; kno/ f
iH V&l gt uoH Wft yk&xhj/ki gA

आवंटन पत्र सं0 **397** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **AL-5/5A** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	7479.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24599.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	472566.00

योग रू0 504644.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7632.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23757.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 31389.00

egk l; : 0 536033.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4/26** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh ekrnhu fuxe i q Lo0 exy
fuokl h\$ x\$ o i h\$ V&fi j k\$ / h
Fluk&l gt uok\$
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **498** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4/26** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	301.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						310.00

egk l\$: 0 **310.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-34** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vk' lq\$kk nq\$ i q Jh ct fcgljh nq\$
fuokl l\$ x\$e& l\$ xokui g/
i l\$ V& H\$ W\$ H\$
ft yk& xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **389** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-34** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	23716.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	137573.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	138520.00

योग रू0	299809.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4534.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6964.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	11498.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	311307.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-41** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh i jek\$ek fu"kn i q Lo0 jke y[ku fu"kn
fuokl h\$xe&xlgld m\$
i h\$V&xlgld m\$ Fkkuk&l gt uok\$W
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **390** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-41** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	52228.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	386873.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	526500.00

योग रू0	965601.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14603.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	26469.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	41072.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	1006673.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-55** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jherh i frHk noh i Ruh Jh fxfjt k 'kdj
fuokl h&x&dkyd j/
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 **309** दिनांक **06/01/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-55** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	88536.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	680299.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	449007.00

योग रू0 1217842.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	18418.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22573.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 40991.00

egk lq : 0 1258833.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-52** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fou; d\$kj ik M\$ i q Jh
fuokl h&ch&47/ vlkl fodkl dkykult/
frokj li g/
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **106** दिनांक **11/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-52** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	190.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						194.00

egk l\$: 0 **194.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-33** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh T; l\$ r noh i Ruh Jh t xnh'k pl\$kh
fuokl h\$ x\$e&, ykl x<+ [kl /
i h\$V&clm/mg/
ft yk&cfy; kl*

आवंटन पत्र सं0 **308** दिनांक **06/01/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-33** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	358.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						366.00

egk l\$: 0 **366.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-66** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh j. k/hj fl g i q Jh
fuokl h&vfjyki kj
i hV&veVh\$H
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **289** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-66** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	11.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	755.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				766.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						12.00

egk l\$: 0 **778.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-2** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l qk noh i Ruh Jh fou; dphj
fuokl h\$xe&dhyd j/
i hV&l gt uokh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **110** दिनांक **11/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-2** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	247.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						252.00
egk l\$: 0						252.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-63** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh dq q noh i Ruh Jh jkt sk
fuokl h&x&frokjhi g/ i kV&ipi Molk
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **303** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-63** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	2353.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	11446.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	16351.00

योग रू0	30150.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	456.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	822.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	1278.00
---------	----------------

egk l\$: 0	31428.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-56** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh i qik 'lekzi Ruh Jh gfj' kj. k 'lekzi
fuokl h&x&j&leuxj cui golk
i hV&j&leuxj/
ft yk&v&EcMdj uxjA*

आवंटन पत्र सं0 **270** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-56** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	18966.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	119190.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	99859.00

योग रू0 238015.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3600.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5020.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 8620.00

egk lq : 0 246635.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-62** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fuR, kua i rki fl g i q Jh
fuokl h&x&l gl
i hV&muoy
Fluk&/kt ul/ ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **285** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-62** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	40573.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	283228.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	180000.00

योग रू0	503801.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7619.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9049.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	16668.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	520469.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-61** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jle izdk'k; kno i q Jh
fuokl h\$xe&eA /heay
i h\$V&/kt ulj
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **299** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-61** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	17567.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	353243.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	234375.00

योग रू0	605185.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9152.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11783.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	20935.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	626120.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-83** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh mfezyk noh i Ruh Lo0 jk/k; le 'hpyk
fuokl h&edku ulcj&113
fcylhi g/ Fkkuk&d.V/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **298** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-83** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	12299.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	78147.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	63742.00

योग रू0 154188.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2332.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3205.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 5537.00

egk lq : 0 159725.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/17** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l kuh fl g i Ruh MAO fxjt sk fl g
fuokl h&x& o i hV&rsuq/h
Fluk, oargl hy&l gt uokh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **67** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/17** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	740.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	4742.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	3792.00

योग रू0 9274.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	140.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	191.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 331.00

egk l\$: 0 9605.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2/3** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jlekKk i q Jh t xnh'k i d kn
xte&chDVH
i hV&l gt uolW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **37** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/3** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	32732.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	208493.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	169011.00

योग रू0 410236.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6204.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8497.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 14701.00

egk lq : 0 424937.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-2/2 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh / kqk/kjh fl g i q Jh
xte&dksj j/
i kV&l gt uol
ft yk&xkj / kjA

आवंटन पत्र सं0 41 दिनांक 28/02/2009 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-2/2 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	839.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						850.00

egk lq : 0 850.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/12** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jlerh jkt erh nsh i Ruh Jh Hxoku nkl /
xte&vfp; ki kj /
i kV&l gt uolW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **35** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/12** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	6.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	23.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	20.00
योग रू0				49.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						2.00

egk lq : 0 **51.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-67** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh 'khyk noh i Ruh Jh jlekuth
fuokl h&x&noodyh
i hV&xki hyig/ rgl hy&xkyh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **304** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-67** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	84.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	420.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	566.00

योग रू0	1070.00
---------	----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	16.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	28.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	44.00
---------	--------------

egk l\$: 0	1114.00
-------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/21** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l xhrk t k / oky i Ruh Jh vt; d qkj
fuokl h&edku l q; k 124@147/
t Vs j mRrjh l qk'k elxZ 'kL=h ySM
xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **40** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/21** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	9762.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	71458.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	39371.00

योग रू0 120591.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1824.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1979.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 3803.00

egk lq : 0 124394.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/16** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jh vt; dqlj ; kno i q Jh jke vk' Hk' ; kno
fuokl h&edku 1 q; k&660, /
fo". hpxj/ H&M; kx< /
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 **611** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/16** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	25605.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	142927.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	156229.00

योग रू0	324761.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4911.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7854.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	12765.00
---------	-----------------

egk lq : 0	337526.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/19** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt; dqlj ; kno i q Jh jk v'kk ; kno
fuokl hkedku l q; k 660a/
fo". kpxj/ HkM; kx<f
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **612** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/19** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	25198.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	140657.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	153746.00

योग रू0 319601.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4833.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7729.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 12562.00

egk lq : 0 332163.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/18** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jle irki fu"kn i& Jh l jt wyky fu"kn
fuokl h&x&t qM; ku/
i hV&l gt uolqW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **620** दिनांक **22/12/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/18** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	316.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						323.00

egk lq; : 0 **323.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-72** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh eLrjke fl g i q Lo0 l R ukjk . k fl g
fuokl l\$xd & / kj\$ k
i l\$V & fi i j l\$ / l
ft y l\$ xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **288** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-72** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	717.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						727.00

egk l\$: 0 **727.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-4** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l lrljke id kn i q Jh
fuokl h&x& xkj h Jh jke
i kV&xkj h Jh jke/ rgl ly&redg jkt /
ft yk&d q kuxjA*

आवंटन पत्र सं0 **276** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-4** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				1.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						0.00
egk lq : 0						1.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **C-46** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh ek k fl g i Ruh Jh
fuokl h\$, y0vkb0t l0&8
'hl=huxj/ xkj / kufh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **104** दिनांक **11/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-46** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	6.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	18.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	27.00
योग रू0				51.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						2.00

egk lq : 0 **53.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-2/21 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh jk/k; le ; kno i q Jh jek'kdj ; kno
xke , oai kV&t xnh'ki g Hyq'ku/
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 56 दिनांक 28/02/2009 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-2/21 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	20671.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	163976.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	84500.00

योग रू0 269147.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4070.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4248.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 8318.00

egk lq : 0 277465.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **C-76** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh l dklj dklj fl g i q Jh
fuokl h&jkt lo uxj/ fudV QyeMj
U' wf' koi jnh dkykulf
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **114** दिनांक **11/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-76** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	13.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	13.00
----------------	--------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	277.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	292.00
----------------	---------------

egk l; : 0	305.00
-------------------	---------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-2/15 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh eukt ; kno o Jh jkgv ; kno i q-x. k Lo0 jk/k; le ; kno
fuokl h&x&ckDVH
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 25 दिनांक 28/02/2009 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-2/15 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	162.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	113.00
योग रू0				299.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						11.00

egk lq : 0 310.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-2/20 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh gwyky i& Lo0 jke vhl js
fuokl h&x&u hki kj/ i kV&t f i g/
Fluk&/kt ul/ rgl hy&l gt uokW
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 50 दिनांक 28/02/2009 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-2/20 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	78.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	495.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	393.00

योग रू0 966.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	20.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 35.00

egk l; : 0 1001.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2/25** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt dhzfl g i k Lo0 'kHwfl g
fuokl h&x&dkyd j/
i kV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **81** दिनांक **26/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/25** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1.00
योग रू0				2.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						0.00

egk lq : 0 **2.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / ki g vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1
 1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
 Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-3/19 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh vt; d\$kj tk l oky i\$ Jh feBkbZt k l oky
 fuokl h&edku l q; k 124@147/ t V\$g mlt\$jl
 l \$k\$'k ekxZ' \$L=h ySM
 xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 39 दिनांक 28/02/2009 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-3/19 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	9762.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	71458.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	39371.00

योग रू0 120591.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1824.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1979.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 3803.00

egk l\$: 0 124394.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
 गीडा गोरखपुर।

dk lq; / xkj / kig vk\$ kxd fodkl iH/kdj.1
1 DVj&7/ xHMH xkj / kig&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/6** से0 **13 / 2023-2024** / दिनांक

es / Zrkjk VDVj Lisj iHkZ
jkjk Jlerh 'k'k noh jkjk Jh jkt ho xkfoth jko/
fuokl h&edku 1 d; k&336/ xH&osfl VH 1 DVj&118&119
, 10, 0, 10 uxj k&ghyHk i& k&160

आवंटन पत्र सं0 **897** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/6** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	142396.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	177268.00

योग रू0	319664.00
---------	------------------

egk lq; : 0	319664.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/7** से0 **13 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jkds'k xkfolh jk i q Jh jks'oj xkfolh jk
fuokl h&edku 1 q; k 336/ xj&os 1 W/H 1 DVj&119/
, 10, 0, 10 uxj klgkyll
i t k&160055*

आवंटन पत्र सं0 **898** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/7** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	145769.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	181468.00

योग रू0	327237.00
----------------	------------------

egk lq : 0	327237.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/1** से0 **13 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jleu\$ i q Jh xak id kn
fuokl h&ckl i ki/
fi i jk\$ h ckt kj/ l gt uok\$
xkj / ki q; ; 01/01/2024*

आवंटन पत्र सं0 **893** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/1** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	95466.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	118845.00
योग रू0						214311.00

egk l\$: 0 **214311.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/10** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l wZukfk i q Jh t; Jh
fuokl h&edku l q; k 2327/
fodkl uxj/ i kuhir/
gfj; k l&132103*

आवंटन पत्र सं0 **894** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/10** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	0.00
---------	-------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	141271.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	175868.00

योग रू0	317139.00
---------	------------------

egk l\$: 0	317139.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-5/1** से0 **13 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh jke dju ek\$ l;zi& Jh jke id kn
fuokl h&nuok/ /k/ loku ckt kj/
xkj/ki g/
; 0i 10&273211*

आवंटन पत्र सं0 **892** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/1** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	96208.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	119769.00
योग रू0						215977.00

egk l; : 0 **215977.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-5/49 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh fot; izdk'k; kno i q Jh l lrkjke
fuokl h&x&dkyd j/
rgl hy&l gt uoh
ft yk&xkj / kj / ; i l h&273209

आवंटन पत्र सं0 890 दिनांक 13/03/2023 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-5/49 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 13/03/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	44542.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	55451.00
योग रू0						99993.00

egk lq : 0 99993.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 13/03/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-2/22 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh fou; dqlj i q Jh deysk dqlj
fuokl h&b&93/ uus&k buDyo/ t h dkykult
x&e&cjoky/ cokuk ukFZo&V/
ub&fnYyh&110039

आवंटन पत्र सं0 887 दिनांक 13/03/2023 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-2/22 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 13/03/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	49954.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	61752.00

योग रू0	111706.00
----------------	------------------

egk lq : 0	111706.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 13/03/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/10** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh ' ; le uljk . k i k M\$ i q Jh vxe i k M\$
fuokl h&133 / [kt uh j k M\$
uxok t \$ i q /
ft y k & x k j / [ki q] ; i i l o & 273212*

आवंटन पत्र सं0 **886** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/10** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	59041.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	72661.00
योग रू0						131702.00

egk l\$: 0 **131702.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l;:/ xhj/ki g vk\$ kxd fodkl i h/kdj.1
1 DVj&7/ xhMj xhj/ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-9/11 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

es l Zolj ch fl g , .M, l kl ; V1
i ki jkl Vj Jh olj cglkj fl g i q Jh foJke fl g
fuokl h&edku l d; k 3263/ 1 DVj&70/ , l 0, 0, l 0 uxj/
leghyhl i t k&160071

आवंटन पत्र सं0 896 दिनांक 13/03/2023 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-9/11 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 13/03/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	142396.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	177268.00
					योग रू0	319664.00
					egk l; : 0	319664.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 13/03/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/26** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jh l R mhz d qkj x qrk i q Jh j k e p l r x q r k
fuokl h u o n g k z t u j y l v k j / f u d v u o h k j r g k y /
e d j k u h i k n k e f c b z
e g k j k " V A & 4 0 0 0 9 7

आवंटन पत्र सं0 **888** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/26** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	46591.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	46591.00
---------	-----------------

egk lq : 0	46591.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/21** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh 'k' k izdk' k xprk i q Jh jle vo'k xprk
fuokl h& xlg / xlg dkW /
jleig voLFkh nbfj; 4
; 01/01/274001*

आवंटन पत्र सं0 **889** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/21** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10664.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	10664.00
---------	-----------------

egk lq : 0	10664.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-6/32** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh eqd's k ek\$ l;Zi& Jh jk feyu ek\$ l;
fuokl h&x&uokl / rgl hy&/kt ulj
ft yk&xkj/ki gA
; 0i 10&273212*

आवंटन पत्र सं0 **902** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/32** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	74960.00

योग रू0	74960.00
---------	-----------------

egk l; : 0	74960.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/21** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

es / Zrel i h / i h b b V f y f e V M
} kj k Jh ft r d h z J h o k l r o i q Jh o l j d h z J h o k l r o k
fuokl h & 11 @ x k = h i f j l j / f o o d k u l h u x j / e k i d h f u d V c k y k
f c y k l i g / N R - h x < & 495006

आवंटन पत्र सं0 **904** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/21** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	86960.00
योग रू0						86960.00

egk l x : 0 **86960.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3/1** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fuokl i q Jh
xte&dksj j/
I gt uok
xhj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **60** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3/1** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	23710.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	177641.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	90741.00

योग रू0	292092.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4417.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4562.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	8979.00
----------------	----------------

egk lq : 0	301071.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2/29** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh Kkus'oj fl g i q Jh
fuokl h&x&gkV/k
i hV&Moj i kj
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **66** दिनांक **28/02/2009** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2/29** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	16.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	52.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				68.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	21.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						22.00

egk l\$: 0 **90.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-25** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh Jo. k d\$kj i q Jh yky plhz
fuokl h\$xt o i hV&t \$ig/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **387** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-25** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	8849.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	53595.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	230516.00
			योग रू0	292960.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4431.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11589.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	16020.00

egk l\$: 0 308980.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xhM/ xkj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/17** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh /kult; d qkj xqrk i q Lo0 jleukfk xqrk
fuokl h&e gYk&nku / kj / oMZl q; k&7/
i hV&c l / x l /
ft yk&xkj / kj A*

आवंटन पत्र सं0 **570** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/17** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	18.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	882.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						900.00

egk lq : 0 **900.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7/10** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt ; ; kno i & Jh d n k j u k k ; kno
fuokl h & x & c k d V h
i h V & l g t u o k
ft y k & x k j / k i g A*

आवंटन पत्र सं0 **586** दिनांक **31/03/2014** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7/10** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	47.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1319.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1366.00

egk l; : 0 **1366.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / ki g vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-8/10 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh jesk ; kno i q Jh ekrlhyky ; kno
fuokl h&vf/k kjh clx/ mlrjh ylk&jk noh eflhj/
okMu0&21,
ft yk&xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 731 दिनांक 01/10/2015 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-8/10 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	78280.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	446301.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	466500.00

योग रू0 991081.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14988.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23452.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 38440.00

egk l\$: 0 1029521.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/51** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh i e 'khyk i Ruh Jh jkeplhz f} onh
fuokl h&i kV&fe Jkby; k
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **674** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/51** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	9001.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38952.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	54274.00

योग रू0 102227.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1546.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2729.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 4275.00

egk lq : 0 106502.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-8/11 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh jlegjh i& Jh i frjkt
fuokl h&x&fcMj/ i kV&pMjko
rgl hy&l gt uoh
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **633** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/11** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	62368.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	299226.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	438761.00

योग रू0 800355.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12104.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22058.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 34162.00

egk l; : 0 834517.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l;:/ xhj/ki g vk\$ kxd fodkl i h/kdj.1
1 DVj&7/ xhM/ xhj/ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-8/14** से0 **13** / **2023-2024** /दिनांक

es l Zrkel i h/ i h/ fyfeVM
Jh t hr/hz JhokLro i q Jh foj/hz JhokLro
fuokl h&edku l d; k&11/ xk =h i fjl j/ foedkuLh uxj/
eki dkh/fudV ckykt h Li d j/cykt i g/NR

आवंटन पत्र सं0 **908** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/14** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	128190.00

योग रू0	128190.00
---------	------------------

egk l; : 0	128190.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/1** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh rkjk i Ruh Jh jkt ddkj
fuokl h&xkj ddkh xkj/
nbfj; h jkeig voLFkh
; 01/10&274001*

आवंटन पत्र सं0 **913** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/1** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	463316.00

योग रू0	463316.00
---------	------------------

egk lq : 0	463316.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5/50** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt; dclj i q Jh f'ko i q u xfrk
fuokl h, -, e-&119/ xlm. M Qywj/
'kylclj clx/
mlrjh i f'peh fnYyh&11008a*

आवंटन पत्र सं0 **911** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5/50** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	172258.00

योग रू0	172258.00
---------	------------------

egk lq : 0	172258.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/4** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh ugk fl g i Ruh Jh vfer d&kj fl g
fuokl h&3@17/ j& fogkj dkykuh Q&t &2/
pjxlm/*
xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 **914** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/4** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	341840.00

योग रू0	341840.00
---------	------------------

egk l& : 0	341840.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6/23** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fou; d\$kj i\$ Jh deysk d\$kj
fuokl h&b&93/ uus\$ bldy\$ t\$ dkyk\$
x&cjoky\$
m\$gh i f'peh fnYyl&11003\$*

आवंटन पत्र सं0 **905** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6/23** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	76460.00

योग रू0	76460.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	76460.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l@; / xhj / kj vk lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xhMj xhj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 S-6/22 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh g"lZek lZi q Jh fojshz d@kj
fuokl h, u&41&l h@26/ t.0t.0 d@/ lgt ikdZcMyh fnYyh
rgjh nkSriq/ ukhZoV fnYy
&110042

आवंटन पत्र सं0 906 दिनांक 10/11/2023 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या S-6/22 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 10/11/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	76440.00

योग रू0 76440.00

egk l@ : 0 76440.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/11/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-12** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh iadt dely iq Jh tuknā fl g
fuokl h\$xt& / kj\$ / fi i jk\$ / h / km /
/ kt ul / ft yk& xkj / ki g
273212*

आवंटन पत्र सं0 **912** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-12** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	127344.00

योग रू0	127344.00
---------	------------------

egk l\$: 0	127344.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/27** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh d".k egkj h fl g i q Jh jke/kuh fl g
fuokl h&x&fi i j h
Fluk&l gt uok
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **645** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/27** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	181.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						185.00

egk l\$: 0 **185.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/5** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh Loræ dækj oS; i q Jh chyd". k nkl
fuokl h&x&edku l q; k 448/ 'k ki q/
rgl hy&l nj,
ft yk&xkj / ki qA*

आवंटन पत्र सं0 **668** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/5** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	189380.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1129393.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1069460.00

योग रू0	2388233.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	36118.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	53765.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	89883.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	2478116.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 S-8/50 से0 13 / 2023-2024 /दिनांक

*Jh v'kkl dklj fl g i k Lo0 yYyu fl g
fuokl hkl yeig mQZeayig kexygl
rgl hy&l nj,
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **685** दिनांक **31/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/50** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	46994.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	280161.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	265511.00

योग रू0 592666.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8963.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13348.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 22311.00

egk l; : 0 614977.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9/12** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh xki ky t h xfrk i q Lo0 vUwl kgw
fuokl h\$ xk&edku 1 q; k 460, /
ek0&byghckx/ Fkkuk&frokj hi g/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **673** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9/12** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	155.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4089.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	4244.00
---------	----------------

egk l\$: 0	4244.00
-------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8/37** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh eul'k d'qj fl g i q Jh vkeizlk'k fl g
fuokl h't xy frdkfu; k u02/
i kV&t xy y{ehi g/ i h, 01 h d'g/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **649** दिनांक **30/01/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8/37** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	52915.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	308916.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	306731.00
योग रू0				668562.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10111.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15420.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						25531.00

egk lq : 0 **694093.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या **6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-15** से0 **15** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh vt hr dphj fl g i q Jh bZoj plh fo/k l kxj fl g
fuokl h&Hjofy; k c q fudV&gkyh QyE , dMeh
fl } kFZbldyE , 1 Ovkh
xhj/kiq ; 0i 10&273017*

आवंटन पत्र सं0 **876** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **S-15** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6318.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	6318.00
---------	----------------

egk l; : 0	6318.00
------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1** से0 **15 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh Hke fl g i q Jh jkev/kjs fl g
fuokl h&x&Megj ekQH
I gt uok
ft yk&xkj / kj&273209*

आवंटन पत्र सं0 **881** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	158222.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	159065.00

योग रू0 **317287.00**

egk lq : 0 **317287.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-13** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh m'kk noh i Ruh Jh of 'KB fl g
fuokl h&x&dV?kj Vkyk bVSjH
i hV&/kt ulj
ft yk&xkj / kj&273212*

आवंटन पत्र सं0 **874** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-13** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	55623.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	57026.00
योग रू0						112649.00

egk lq : 0 **112649.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-8** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh plhd u fl g i q Jh f>luwl g
fuokl h&x& o i hV&Mgfj; k ckt kj/
xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **869** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-8** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रु0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	49665.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0	49665.00
---------	-----------------

egk lq : 0	49665.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-3** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh fxjt s'ki q Jh f'ko id kn
fuokl h\$ x\$e&dkyd j/
i h\$V&l gt uokl Fkuk&xhM/
xkj / ki g&273202*

आवंटन पत्र सं0 **864** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-3** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	54602.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	55906.00

योग रू0	110508.00
---------	------------------

egk l\$: 0	110508.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-6** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh firgoekZ dukM; k } kjk Jh xkso dekj dukM; k
fuokl h&ds hki g/*
I gt uoh
xkj / kj&273209

आवंटन पत्र सं0 **867** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-6** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	61768.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	63326.00

योग रू0	125094.00
---------	------------------

egk lq; : 0	125094.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-18** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh #dehuh 'hpyk i Ruh Jh I R no
fuokl h&x& , oai hV vkQl &du&/
rgl hy&cl/xlm/ i h, I 0&cyhi kj,
ft yk&xkj / kj&273413*

आवंटन पत्र सं0 **882** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-18** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	124216.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	120967.00
योग रू0						245183.00

egk lq : 0 **245183.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-17** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jke fl g ; kno i q Jh cdf jke ; kno
fuokl h&x&l ejh
i hV&exgj/
ft yk&l r dclj uxj/ ; i h&272175*

आवंटन पत्र सं0 **878** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-17** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	73579.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	55401.00
योग रू0						128980.00

egk l\$: 0 **128980.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-16** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt hr dphj fl g i q Jh bZoj plhzfo / k l kxj fl g
fuokl h&Hjofy; k c q fudV glyh Qye , dMeh
fl } kFZbDYd , 1 Ovkh
xkj / ki q ; 0i 10 & 273017*

आवंटन पत्र सं0 **877** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-16** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6627.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						6627.00

egk lq : 0 **6627.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-14** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh i hre fl g i q Jh ' : led ju fl g
fuokl h& dkt hi q/
Mgfj; k ckt kj/
xkj / ki q / ; 0i 10&273015*

आवंटन पत्र सं0 **875** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-14** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	55623.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	57026.00

योग रू0	112649.00
---------	------------------

egk l\$: 0	112649.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-12** से0 **15 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh T; lq; . k i q Jh ; lxd k plhz
fuokl lxd & cjxnok i fle/
i l V & H W / t H
ft yk & l r dclj uxj & 272126*

आवंटन पत्र सं0 **873** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-12** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	47682.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	55451.00
योग रू0						103133.00

egk lq : 0 **103133.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-11** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh lo ddkj i q Jh fot; ddkj
fuokl h&x&Mok prj/ ik M i q
ekGui kj/ rgl hy&/kt ul
ft yk&xkj / kj&273403*

आवंटन पत्र सं0 **872** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-11** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	54017.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	54586.00

योग रू0	108603.00
---------	------------------

egk lq : 0	108603.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9** से0 **15 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh vejukfk fl g i q Jh vke izdk'k
fuokl h&bDMY; 0, 1 0&156/
uskt h l qHk'k plhzckl uxj dkykub
1 gt dqM xkj / ki q*

आवंटन पत्र सं0 **870** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	53575.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	54926.00

योग रू0	108501.00
---------	------------------

egk lq : 0	108501.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh xhfo dely dklM; k i q Jh xhfo dely dklM; k
fuokl h&es ekdW, uOVhOI hO/
ds'khi g oMZua&9/
I gt uolW/xhj / ki g&27320s*

आवंटन पत्र सं0 **868** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	58696.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	60176.00

योग रू0	118872.00
---------	------------------

egk lq : 0	118872.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-5** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jfo irki fl g i q Jh yky cgknj fl g
fuokl h&?ku'; ke uxjl
fi ijl lgt uokW
xkj / ki g&273209*

आवंटन पत्र सं0 **866** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-5** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	60232.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	61751.00

योग रू0	121983.00
---------	------------------

egk l\$: 0	121983.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xhj / kig vkf lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xhMj xhj / kig&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-4** से0 **15 / 2023-2024** / दिनांक

Jherh vfi Zk fl g i q-h Jh fo / kl kxj fl g
fuokl h&edku l q; k&430& p/ egk hji ge/
fudV vkLFk i flyd Ldw/
t xy udgh xhj / kulkf xhj / kig&2730

आवंटन पत्र सं0 **865** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **S-4** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9903.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						9903.00
egk lq : 0						9903.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-2** से0 **15 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh eg\$'k dq\$kol\$gk i\$ Lo0 jle vo/k dq\$kol\$gk
fuokl h\$H\$vk M l q; k M\$&4/
1 DVj&15/ xlm\$
xkj / ki q; ; 0i 10*

आवंटन पत्र सं0 **863** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-2** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	98030.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	87331.00

योग रू0	185361.00
---------	------------------

egk l\$: 0	185361.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-10** से0 **15** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; dely plgku i q Jh nleknj id kn
fuokl h&fi i jk nfk k i VVH
fi i jk mRj i VVH HkVi kj jkuH
nbfj; H; 0i 10&274702*

आवंटन पत्र सं0 **871** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-10** से0 **15** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	46975.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 **46975.00**

egk l; : 0 **46975.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



dk lq; / xkj / kj vk\$ kxd fodkl iH/kdj.1
1 DVj&7/ xHMH xkj / kj&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 A-1/12A से0 15 / 2023-2024 / दिनांक

es / Zfyk U ch0i10 ekcfyVh fy0
esdj pfcj&4/ rrlk ry/ 222
ujleu lkbW/
efcb&400021

आवंटन पत्र सं0 2,380 दिनांक 28/02/2005 के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या A-1/12A से0 15 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	868.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	91697.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	92565.00
---------	----------

egk lq : 0	92565.00
------------	----------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



dk lq; / xkj / ki g vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **R-10** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

Jh jkt d\$kj fl g i q Jh fo'ouk\$ fl g
fuokl h\$ x\$e&y / kuki kj/
xkj / ki g
; 01/10&273209

आवंटन पत्र सं0 **917** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **R-10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	4944633.00

योग रू0 **4944633.00**

egk l\$: 0 **4944633.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **O-18** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh fuja u ik M\$ i\$ Jh jek 'ladj ik M\$
fuokl h&66/ fHky l\$ k / lqZ
xkj / ki g
; 01/10/273016*

आवंटन पत्र सं0 **915** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **O-18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	740707.00

योग रू0	740707.00
---------	------------------

egk l\$: 0	740707.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / ki g vk\$ kxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-21A** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

Jherh l hek i Ruh Jh l R uj k . k ek l
fuokl h&edku l q; k&b&30/ U wVh i h/Zuxj/
xkj / ki g/
m0 i 273016

आवंटन पत्र सं0 **829** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-21A** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	334.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	75886.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	216563.00
			योग रू0	292783.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4428.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	76211.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	216563.00
					योग रू0	297202.00

egk lq : 0 **589985.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

dk lq; / xkj / kj vk lxd fodkl i l / kj.
1 DVj & 7 xlm xkj / kj & 273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-21** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh foukn dqlj ryl; ku i q Jh jkl od i l kn ryl; ku
fuokl hcl r foglj dkykul
fudV xlrk okVdH xkj / kj
m0 i 273001*

आवंटन पत्र सं0 **845** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-21** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	15812.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	636838.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1416089.00

योग रू0 2068739.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	31286.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	285029.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	708919.00

योग रू0 1025234.00

egk lq : 0 3093973.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।



dk lq; / xkj / kj vk\$ lxd fodkl iH/kdj.1
 1 DVj&7/ xHMH xkj / kj&273212
 Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-27B** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

Jh t; uljk .k ik M\$ i\$ Jh xkfe ik M\$
 fuokl h\$ xk\$ & dfl glj/ i k V & eykv l\$ /
 rgl hy & cl\$ / xk\$ / i k V vk\$ Q/ & cy / hi kj,
 ft yk & xkj / kj & 273413

आवंटन पत्र सं0 **879** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-27B** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	215525.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	220660.00

योग रू0	436185.00
----------------	------------------

egk l\$: 0	436185.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
 गीडा गोरखपुर।

dk lq; / xkj / ki q vk\$ kxd fodkl i k/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki q&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-27A** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

Jh v&dr f=i kBlh i q Jh 'k' k Hk k f=i kBlh
fuokl h&edku 1 q; k&64/ 1 ki kjh c q q
i kV&m/kki q/ rgl hy&n&fj; k
xkj h ckt kj/ ft yk&n&fj; k ; 0i 10&2742

आवंटन पत्र सं0 **880** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-27A** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	154897.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	158802.00

योग रू0	313699.00
---------	------------------

egk lq : 0	313699.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **I-18** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh deys'k fl g i q Jh jkenkl
fuokl h\$ x\$&l fgt ul/ i h\$V&/kt gij
rgl hy&/kt ul/ ft yk&xkj / ki q,
m0 i 273212*

आवंटन पत्र सं0 **828** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **I-18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	105514.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	345182.00

योग रू0	450696.00
---------	------------------

egk l\$: 0	450696.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-34** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l R kulh i q Jh jle yd/kou
fuokl h&Nki fM; k dkykulj l qj fey jhM edku l q; k&85/
okMzu&8/ f=i k Bh ekdM/ [kyhykcn,
l r dclj uxjA*

आवंटन पत्र सं0 **418** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-34** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	121025.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	766901.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	627400.00
योग रू0				1515326.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22917.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	31541.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						54458.00

egk lq : 0 **1569784.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh deys'k d\$kj ; kno i\$ Jh ulhyky ; kno
fuokl h\$xd&ckDVH
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **424** दिनांक **28/06/2017** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	370570.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	881501.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	4710180.00
योग रू0				5962251.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	90169.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	236796.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						326965.00

egk l\$: 0 **6289216.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **D-4** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l g\$ k jk i\$ Lo0 d\$red\$ k jk
fuokl h\$ x\$ & y l g j l u /
ft y l & l x dclj uxjA*

आवंटन पत्र सं0 **413** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **D-4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	47.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	265.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1432.00
योग रू0				1744.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	26.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	72.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						98.00

egk l\$: 0 **1842.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-25** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh gfj 'laj fl g i q Jh dYiukfk fl g
fuokl h&x&c<uh
i hV&c<uh xki kyig/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **405** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-25** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	269358.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1841879.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1424302.00

योग रू0 3535539.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	53469.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	71604.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 125073.00

egk l\$: 0 3660612.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-15** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jle xki ky f=i lBh i q Jh fxjh'k f=i lBh
fuokl h&x& j oMMg/
i hV&pofj; k c q
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **402** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	100694.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	258615.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1164088.00

योग रू0 1523397.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23039.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	58522.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 81561.00

egk l\$: 0 1604958.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-11** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh fdju feJk i Ruh Jh l qly dely feJk
fuokl h&10Vh bfhjk uxj 4l wig'k
i hV&U' w' koigh dkykuf
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **399** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	254585.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1639112.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1353292.00

योग रू0 3246989.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	49105.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	68034.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 117139.00

egk lq : 0 3364128.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-15** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; nws i q Jh ct fcgljh nws
fuokl h&e k&egokh
i kV&Vd i kZuxj/
ft yk&xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **400** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	116826.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	700472.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	655246.00

योग रू0	1472544.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	22270.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	32941.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	55211.00
---------	-----------------

egk l; : 0	1527755.00
------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-24** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh l clgr ; Keku i Ruh Jh bQrj Kij
fuokl h&211/ ekyoh uxj/
fprcjk xhM/
cfy; k&221713*

आवंटन पत्र सं0 **338** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-24** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	859.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	2614.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	26176.00
योग रू0				29649.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	448.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1316.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1764.00

egk lq : 0 31413.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-28** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jes k fl g i q Jh v; k; k fl g
fuokl h&M&Cykd/ LVs ku j kM
fl foy ykbZ /
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **329** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-28** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	178582.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1213721.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	831427.00

योग रू0	2223730.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	33630.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	41799.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	75429.00
---------	-----------------

egk lq : 0	2299159.00
------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-27** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jes k fl g i q Jh v; k; k fl g
fuokl h&M&Cykd/ LVs ku j kM
fl foy ykbU /
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **349** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-27** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	179581.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1221200.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	835252.00

योग रू0	2236033.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	33816.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	41991.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	75807.00
---------	-----------------

egk lq : 0	2311840.00
------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-17** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

e\$ / Zol0vkj0 bUjiHkZ \$
} kjk Jh foulm d\$kj x\$rk, oa Jh jkt d\$kj x\$rk
i\$ Jh foU; lpy x\$rk fuokl h\$ i kV&uk\$ < / Fkkuk&cyhi kj/
rgl hy&l nj / ft yk&xkj / kj

आवंटन पत्र सं0 **376** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-17** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	7714.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	191478.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	326661.00
योग रू0				525853.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7953.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	16422.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						24375.00

egk lq : 0 **550228.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-9** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh fnyli e) f'k k i q Jh jkt thze) f'k k
fuokl h\$ x\$e , oai h V&? k\$ j h
rgl hy&l gt uoh
ft yk&xkj / ki q A*

आवंटन पत्र सं0 **326** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-9** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	168954.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1058937.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	892954.00

योग रू0	2120845.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	32074.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	44892.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	76966.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	2197811.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **O-10** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vftkuo d\$kj i\$ Jh f'ko d\$kj
fuokl h\$xt\$, oai kV&H\$ki kj/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **346** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **O-10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	132146.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	897136.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	616396.00

योग रू0	1645678.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	24888.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	30988.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	55876.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	1701554.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **P-4** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jherh #ch i Ruh Jh I t ;
fuokl h&x&vYneA/
ft yk&eA/
m0 i t*

आवंटन पत्र सं0 **368** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **P-4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	146572.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1110282.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	804487.00

योग रू0	2061341.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	31174.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	40444.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	71618.00
----------------	-----------------

egk l; : 0	2132959.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-16** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh fnfXot; jkt i q Jh plhsoj jkt /
fuokl h&x& , oai l V & M q j h fuokl /
I gt uoh
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **383** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	167.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7719.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						7886.00

egk l\$: 0 **7886.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-11** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh food dely i q Jh xki ky
fuokl h xk&fi i jk chgeu mQZckj xlmj
ft yk&egjkt xat A*

आवंटन पत्र सं0 **375** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	66.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	403.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	358.00
योग रू0				827.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	18.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						31.00

egk lq : 0 **858.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **I-8** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l R ukjk . k ; kno i k Lo0 [knw, kno
fuokl h&x&ckdVh
i kV&l gt uokh
ft yk&xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **371** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **I-8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	65157.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	644790.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	468072.00

योग रू0 1178019.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17816.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23531.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 41347.00

egk l; : 0 1219366.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **I-9** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh i kuerh ; kno i Ruh Jh I R uljk . k ; kno
fuokl h&x&ckDVH
i kV&l gt uokW
ft yk&xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **370** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **I-9** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	62363.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	594790.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	468072.00

योग रू0	1125225.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17017.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23531.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	40548.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	1165773.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-5** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh vkulh dely ; kno i q Jh vke izdk'k ; kno
fuokl h\$xt o i hV&Nfi ; h
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **372** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						11.00

egk l\$: 0 **11.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **N-8** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l nli d\$kj x\$rk i\$ Jh jle d\$ky x\$rk
fuokl h\$xe&l kus<ky ot ol
i h\$V&uokok voky/ Fkkuk&/ k\$jk\$kj/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **365** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **N-8** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24840.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	834239.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	784920.00

योग रू0	1643999.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	24863.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	39460.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	64323.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	1708322.00
--------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **N-9** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh foj. hz d\$kj x\$rk i\$ Jh jk\$uk\$ x\$rk
fuokl h\$ x\$& / kyokt ok
i h\$V&uok voky/
ft yk\$ xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **366** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **N-9** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	720793.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	786120.00

योग रू0 1506913.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23317.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	39521.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 62838.00

egk l\$: 0 1569751.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-52** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh elgu yky l lguh i q Jh Hxhj Fkh
fuokl l\$ xk&j lgy l\$
i hV&Mgfj; k ckt kj/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **334** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-52** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24241.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	161503.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	116711.00

योग रू0	302455.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4574.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5867.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	10441.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	312896.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-1** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh vke izdk'k jk i q Jh
fuokl l\$ 757 & MJ
jkt shzuxj 1/2 vkh
xkj / kulk\$ / xkj / ki q A*

आवंटन पत्र सं0 **96** दिनांक **01/03/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	356.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15287.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						15643.00

egk l\$: 0 **15643.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **C-3** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh ukx\$hzfl g ; kno i q Jh
fuokl h&fe Jlk\$y; k
j/k\$ h
ft yk&xkt li gA*

आवंटन पत्र सं0 **223** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **C-3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	58.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3630.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						3688.00

egk l\$: 0 **3688.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



पत्रांक [] / सम्पत्ति / नौ- / भू०सं० **M-29** से० **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jlerh l yek cxe i Ruh Jh vkQric vgen
fuokl h&xh&gq Silckn/
c&guyv eslt n ds l keuf
ft yk&xh&[ki gA*

आवंटन पत्र सं० **202** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-29** से० **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	41000.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	254782.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	219308.00
			योग रु0	515090.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	7790.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	11025.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00
					योग रु0	18815.00

<i>egk, lx : 0</i>	533905.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर** के खाता संख्या **6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली “वसूली प्रमाण पत्र” (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1 . यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **P-5** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jleir tk l oky i q Jh
fuokl h&x&pk\$ jolk
i hV&>dgh Fkkuk&/kt ulj
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **216** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **P-5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	16370.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	105289.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	83308.00

योग रू0 204967.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3100.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4188.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 7288.00

egk l\$: 0 212255.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-6** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh uhye f=i k Bh i Ruh Jh i d l) ukfk f=i k Bh
fuokl h&20&i h/ bñjk uxj/
#Lrei g/ i k V&L/ wg' koi jñ/
nkmi g/ xhj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **228** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	10633.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	57477.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	67101.00

योग रू0 135211.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2045.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3373.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 5418.00

egk lq : 0 140629.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-7** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh n; kjk ; kno i q Lo0 t k kjk ; kno
fuokl h\$ x\$&dl \$ h
i h V&HjofV; h
ft yk&cLr h*

आवंटन पत्र सं0 **230** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-7** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	109.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7853.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						7962.00

egk l\$: 0 **7962.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-6** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh jpuk ; kno i Ruh Jh
fuokl h&blthjk uxj hmf{k ktk
j l wj g/ i k V&U w' loig h dkyku,
ft yk&xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **143** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	56653.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	396593.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	250000.00
			योग रू0	703246.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10635.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12568.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	23203.00

egk lq : 0 726449.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **G-3** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt s'k d'qj x'rk i q Lo0 jk l'; le x'rk
fuokl h&v l djxt /
jsh dk i q,
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **248** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **G-3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	13846.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	23106.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	30246.00

योग रू0 67198.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1016.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1521.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 2537.00

egk l\$: 0 69735.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **R-5** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

e\$ / Zjk cml Z
fuokl h&100@120ch
rqlZkui g,
xkj / ki gA

आवंटन पत्र सं0 **91** दिनांक **01/03/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **R-5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2437.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	53843.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	56280.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	56280.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **P-6** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh bZoj plhzt k l oky i# Jh
fuokl h&okM/ d; k&15/ egYk&ypph
l gt uokMkt kj,
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **217** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **P-6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	42907.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	199028.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	309995.00

योग रू0	551930.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8347.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15584.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	23931.00
----------------	-----------------

egk l; : 0	575861.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-20** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh 'kx noh i Ruh Jh
fuokl h&x& , oai hV&dV; H
ft yk&nofj; A*

आवंटन पत्र सं0 **152** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-20** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	45110.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	250883.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	333000.00
योग रू0				628993.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9512.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	16741.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 **26253.00**

egk kx : 0 **655246.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **M-25** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh [okt k ekbuqnhu mQZjkt wi q Jh
fuokl h&ek&vgen uxj pDl k gq si/
xkj/kukf/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **200** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-25** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	67366.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	475559.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	292558.00

योग रू0	835483.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12635.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14708.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	27343.00
---------	-----------------

egk l; : 0	862826.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **P-2** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh i kuerh ; kno i Ruh Jh
fuokl h&x&ckDVH
i hV&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **264** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **P-2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	8418.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	26846.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	131189.00
			योग रू0	166453.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2517.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6595.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	9112.00

egk lq : 0 175565.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **P-1** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh ekgfen fcyky fl f) dh
fuokl h&75, y/ egphZl dki g/*
U' wf'loi gh dkykuf
ft yk&xkj/ki gA

आवंटन पत्र सं0 **214** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **P-1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	69741.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	333757.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	546328.00

योग रू0 949826.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14364.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	27466.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 41830.00

egk l; : 0 991656.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-26** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh foordkulh mik; k i q Jh
fuokl h\$ x\$e , oai hV&xkgkl M
I gt uoh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **156** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-26** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	6927.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	47132.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	32184.00
योग रू0				86243.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1304.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1618.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						2922.00

egk l\$: 0 **89165.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **A-10** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh eqd's k fl g i q Jh
fuokl h\$, y0vkb0t l0&8/
'll=h uxj/
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **243** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-10** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	12.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	60.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	87.00

योग रू0	159.00
---------	---------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	6.00
---------	-------------

egk l\$: 0	165.00
-------------	---------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **G-2** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; d qkj fl g i q Jh fl rkjke fl g
fuokl h x x e & y p p Z e a y c k t k j /
o k M Z u 0 & 1 5 / i k V & l g t u o k
f t y k & x k j / k j A*

आवंटन पत्र सं0 **247** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **G-2** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	15515.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	47638.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	141058.00

योग रू0	204211.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3088.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7091.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	10179.00
----------------	-----------------

egk l x : 0	214390.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **A-4** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jherh fue\$yk fl g i Ruh Jh
fuokl h&x& o i hV&gfukfki g /kt ul/
i h, l 0&clw/xlm/
xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **240** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **A-4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5024.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	34666.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	22774.00
			योग रू0	62464.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	945.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1145.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	2090.00

egk l; : 0 64554.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **F-6** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt dqlj tk l oky iq Jh
fuokl h&i h0, u0chl fclMx/
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **256** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **F-6** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	48.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	281.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						329.00

egk lq : 0 **329.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-16** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh vfouk'k fl g i q Jh
fuokl h\$, y0vkb0t l0&8/
'll=h uxj/
xkj / kulk\$ xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **232** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	7.00
योग रू0				12.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1.00

egk l\$: 0 **13.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-5** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l qk\$ pth i q Jh
fuokl h\$ x\$e&cudVh
i h\$V&H\$nl k mQZcudVh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **187** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-5** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1675.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	315.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	5610.00

योग रू0	7600.00
----------------	----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	115.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	282.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	397.00
----------------	---------------

egk l\$: 0	7997.00
--------------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-3** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh fu 'kk pl\$fl ; k i Ruh Jh l mli pl\$fl ; h
fuokl h\$, y0vkb0t l0&A/ 220/
fodkl uxj/ cjxnok/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **186** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-3** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	583.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						594.00

egk lq : 0 **594.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-21** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh f' kodkj > q > qokyk i q Jh
fuokl h&84&t h xlmh xyh
vikft V i hoi ho , DI & j\$
xky?kj/ ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **198** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-21** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1168.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38481.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	40145.00
			योग रू0	79794.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1207.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2018.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
					योग रू0	3225.00

egk l\$: 0 83019.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-18** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh mes'k fl g i q Jh
fuokl h&x&v&lbZ
i hV&egnoh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **150** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	51246.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	358453.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	226485.00

योग रू0 636184.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9621.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11386.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 21007.00

egk l\$: 0 657191.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **K-19** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jherh mfe; k noh 'hpyk i Rih Lo0 jk/k'; le
fuokl h&edku 1 q; k&113/
fcylhi g/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **151** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-19** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	21235.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	134515.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	110528.00

योग रू0	266278.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4027.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5557.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	9584.00
---------	----------------

egk l; : 0	275862.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-58** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh egfen tek iq Jh
fuokl h&48&vokl fodkl dkykulf
frokj li g/
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **178** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-58** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	101.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3887.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						3988.00

egk l\$: 0 **3988.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **K-15** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh fot; i& Lo0 jke;/ ku
fuokl h&x&Hkl k
i kV&l gt uokW
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **147** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	76354.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	227260.00

योग रू0 303614.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5068.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11425.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 16493.00

egk l; : 0 320107.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-28** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh ykyerh nsh i Ruh Jh blht hr ; kno
fuokl h&cl Uriq/ f'koig/
I jngk
ft yk&vkt ex<+*

आवंटन पत्र सं0 **157** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-28** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	130.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	346.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1705.00
योग रू0				2181.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	33.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	86.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						119.00

egk l\$: 0 **2300.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-54** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh foukn dely i q Lo0 d'sh id kn
fuokl h&okMzua&4/
eglyk&igkuk xlyh cMgyxt/
fpYywikj/ ft yk&xly / ki qA*

आवंटन पत्र सं0 **175** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-54** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	53168.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	371905.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	234980.00

योग रू0	660053.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9982.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11813.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	21795.00
---------	-----------------

egk lq : 0	681848.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **M-15** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh ekfen vl xj vyh i\$ Jh e\$ e\$rk\$ vyh
fuokl h\$nglku 1 d; k&16/
Vh i h/Zuxj/
xhj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **193** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	18230.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	75737.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	154444.00

योग रू0	248411.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3757.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7764.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	11521.00
---------	-----------------

egk l; : 0	259932.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **Q-1** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh vfer / kMyoky i q Jh
fuokl h&14&folhokl uh uxj/
c&l jlmj
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **218** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **Q-1** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	108201.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	684973.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	563739.00

योग रू0	1356913.00
---------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	20521.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	28341.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	48862.00
---------	-----------------

egk lq : 0	1405775.00
------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **R-1A** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

e\$ / ZdlfrZb. VjiHbZt /
iH Jh v#. k'k 'Hgh i q Lo0 Hxoku 'Hgh /
fuokl Hk, e0iH0 fcfYMH / ft yk i fj "m jkM /
xky?kj / xkj / ki qA

आवंटन पत्र सं0 **824** दिनांक **11/02/2020** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **R-1A** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1289503.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	10967080.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	21085200.00
योग रू0				33341783.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	504237.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1413361.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	3514200.00
योग रू0						5431798.00

egk lq : 0 **38773581.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **I-17** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; d qkj fl g i q Jh t xnh'k fl g
fuokl h&i k V&pMj k
fcj kj/
xkj / ki g&273209*

आवंटन पत्र सं0 **827** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **I-17** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	105664.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	346512.00

योग रू0	452176.00
---------	------------------

egk l; : 0	452176.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-56** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh dWj i rki fl g i q Jh gfjgj fl g
fuokl h&294&, Q/ 'k/ki q/
xlrk i d cjuoky jlmj
xkj / ki q/ m0 i d*

आवंटन पत्र सं0 **833** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-56** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	5537.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	228800.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	475312.00
योग रू0				709649.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	10732.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	95582.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	237656.00
योग रू0						343970.00

egk l\$: 0 **1053619.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l;:/ xkj/ki g vk\$ l;xd fodkl i h/kdj.1
1 DVj&7/ xlmj xkj/ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **M-27** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jherh yfyrk noh i Ruh Jh /hp ; kno
fuokl h&x&uokl / i hV&cMxgu/
ft yk&xkj/ki g/
m0 i0&273212*

आवंटन पत्र सं0 **832** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-27** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	66185.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	66185.00
---------	-----------------

egk l; : 0	66185.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

dk l; / xkj / ki g vk\$ kxd fodkl i h / kdj. 1
1 DVj & 7 / xlmj xkj / ki g & 273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **A-22** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jkt s'k d'ej ryL; ku i q Jh jkel od i d kn ryL; ku
fuokl h'ryL; ku 0018vkj/ xak-h fcgkj dkykuf
eghjk k i rki ckfydk b. Vj dkyst ds i hV\$ fl foy ykbu/
xkj / ki g/ m0 i d 273001*

आवंटन पत्र सं0 **844** दिनांक **24/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **A-22** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	19225.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	772187.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	1725294.00
			योग रू0	2516706.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	38061.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	347022.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	862906.00

योग रू0 1247989.00

egk l; : 0 3764695.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-18** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh fujat u ik Ms i q Jh jlek'kdj ik Ms
fuokl h&ik Ms Vkl i hZl foZ h&t h&ir'q
28/ us'kuy gkb&of ckdVh pl&kg
xhMj xhj / kj&273209*

आवंटन पत्र सं0 **900** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-18** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	150480.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	187333.00
					योग रू0	337813.00

egk lq : 0 **337813.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **G-4** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

es l ZekW' kink l foZ l DVj } h k Jh jke fl g i q Lo0 jke l q
, oa Jh t; jke 'hgh i q Jh jke'oj i r ki 'hgh
fuokl h&ckl q QW, t l l l h&14/ egok QyeMh
xkj / ki q A

आवंटन पत्र सं0 **249** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **G-4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	345.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15886.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 **16231.00**

egk l\$: 0 **16231.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-31** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l qkj d qkj fl g i q Jh foj d h z fl g
fuokl h egok hu; k { l\$-1/2
I nj,
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **222** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-31** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	79569.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	516053.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	399900.00

योग रू0	995522.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15056.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	20104.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	35160.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	1030682.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-23** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh eukt dely >u>uokyk i# Jh
fuokl h&84&t h xlmj uxj dkyhulj
vikst V vk\$ i hoi ho , Dlj
xkj/?kj/ xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **199** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-23** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	6863.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	39761.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	40145.00

योग रू0	86769.00
----------------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1312.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2018.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	3330.00
----------------	----------------

egk l\$: 0	90099.00
--------------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-19** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l x; d;lj vxzky i; Jh
fuokl h&84&t h xlmj uxj dkyhulj
vikst V i hoi ho, Di &j\$ xky?kj/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **196** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-19** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	1168.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	38481.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	40145.00
योग रू0				79794.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1207.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	2018.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						3225.00

egk l; : 0 **83019.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-29** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jherh blhwnoh i Ruh Jh cakkyky
fuokl h&x& o i hV&M/hj
ft yk&l r dclj uxjA*

आवंटन पत्र सं0 **158** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-29** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	275.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						280.00
egk lq : 0						280.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-16** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l g\$hzid kn i\$ Jh jle xg\$le
fuokl h\$fu; j x\$rk i\$ / \$y i\$ i
glb\$zsj\$M l gt uok\$W
ft yk\$ xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **148** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1154.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	1154.00
---------	----------------

egk l\$: 0	1154.00
-------------	----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **M-40** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l mhi pl\$fl ; k i q Lo0 xki ky i d m pl\$fl ; k
fuokl h\$, y0vkb0l l0&i Fl&220
fodkl uxj/ cjxnok
xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **265** दिनांक **01/09/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **M-40** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	0.00
---------	-------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	9.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	503.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	512.00
---------	---------------

egk lq : 0	512.00
------------	---------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-49** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh jes'k fl g i q Jh v; k; k fl g
fuokl h&Mh Gykd/ LVs'ku jhM
fl foy ykbU /
xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **171** दिनांक **19/07/2011** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-49** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	749.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	7941.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	70.00

योग रू0 8760.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	132.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	4.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 136.00

egk lq : 0 8896.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **K-25** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

Jh l Hkt hr ; kno i q Jh jkeptlz ; kno
fuokl h&edku l q ; k&21, /
elgYyk / kV Bk Vky k k i kV&dM?kV/
ft yk&xkj / ki g 273008

आवंटन पत्र सं0 **337** दिनांक **24/05/2012** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **K-25** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						6.00
egk lq : 0						6.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **B-39** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh no uljk . k ; kno i q Jh jk ngkjs ; kno
fuokl h&edku l q ; k&l h&2/
vke uxj elBki q foLrkj l kmfj
ft yk&fnYyH*

आवंटन पत्र सं0 **408** दिनांक **13/12/2013** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **B-39** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	114.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	15.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	94.00

योग रू0 223.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 8.00

egk lq : 0 231.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **Q-4** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jh l qhr d qkj t\$ oky i q Lo0 t olgj yky t\$ oky
fuokl h&M&514/ t seuh xkj Mfu; h
rkjle. My/ fl } kFZbDys, 1 Ovkh
xkj / ki q; ; i h&273017*

आवंटन पत्र सं0 **916** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **Q-4** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	2248800.00
योग रू0						2248800.00

egk l\$: 0 **2248800.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **O-16** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh vāḥḥku e}ḥ'k k iḥ Jh vāxṇ iḥ kṇ xḥrk
fuokl hēyppZokMl ḍ; k&15/
I gt uokl/xhj/ki g,
; 0i10&273209*

आवंटन पत्र सं0 **920** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **O-16** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	680997.00

योग रू0	680997.00
---------	------------------

egk l; : 0	680997.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l;:/ xkj/ki g vk\$ kxd fodkl iH/kdj.1
1 DVj&7/ xHMH xkj/ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **O-17** से0 **22 / 2023-2024** /दिनांक

eS/Zt0, e0M0 Vd iWZVAM Z
iHjklNj Jh f'ke d\$kj xHrk i\$ Jh jke id kn xHrk
fuokl h&d\$ke\$ / ruqH
xkj/ki g ; 0i10&273212

आवंटन पत्र सं0 **921** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **O-17** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	661248.00
योग रू0						661248.00

egk l; : 0 **661248.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का
GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **O-11** से0 **22 / 2023-2024** / दिनांक

*Jlerh dylorh fl g i Ruh Jh clpk id kn fl g
fuokl h&43/ , eol lo fe= jlmj gkyhl gj ¼ e½
mlrjh 24/ i jxukl,
if'pe cakj&743135*

आवंटन पत्र सं0 **918** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **O-11** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	528948.00

योग रू0	528948.00
---------	------------------

egk lq : 0	528948.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **O-15** से0 **22** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l gzhz id kn i q Jh guqku id kn
fuokl h&fudV i h&zh Idw/
okMZl q; k&15/ l gt uok
xkj / ki g/ ; i h&273209*

आवंटन पत्र सं0 **919** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **O-15** से0 **22** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	0.00
----------------	-------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	652647.00

योग रू0	652647.00
----------------	------------------

egk lq : 0	652647.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-13** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh olfiu dqlj iq Jh 'kuql/kjh id kn
fuokl h&x&ujkyl
i hV&fmoj rgl hy&l gt uokW
ft yk&xkj / kj&273209*

आवंटन पत्र सं0 **883** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-13** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	95965.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	98008.00
योग रू0						193973.00

egk lq : 0 **193973.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **CS-14** से0 **23** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh vf[kysk d;lj e}f'k k i& Jh egs'k plhzxrk
fuokl h&edku 1 d; k&281&ch/ xyh ua&7/
fudV dks ysdh rky/ eMlyh bDV&ku/ eMlyh/
mR;jh i wZfnYyh&11009;*

आवंटन पत्र सं0 **884** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-14** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	105563.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	108175.00

योग रू0	213738.00
---------	------------------

egk l; : 0	213738.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-16** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l q' l\$; kno i q Jh jle egr ; kno
fuokl h\$ x\$e&fot l\$ l\$ i h\$ V&fj Vokl h\$ / l\$ /
ft yk&xkj / ki g/
m0 i 27320s*

आवंटन पत्र सं0 **847** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-16** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	102.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	24558.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	42782.00

योग रू0	67442.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	67442.00
--------------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-24** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt hr dphj ; kno i q Jh j? lqkl fl g ; kno
fuokl h&200, / egol i hV&f' loig h l' wdky kulh
Vh i hZuxj/ xhj / ki g/
m0 i 273016*

आवंटन पत्र सं0 **855** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-24** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	2032.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	83959.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	174416.00

योग रू0	260407.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3938.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	35074.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	87208.00

योग रू0	126220.00
----------------	------------------

egk l\$: 0	386627.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/4** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh ulhuh xqrk i Ruh Jh foukn xqrk
fuokl h&100@1/ fnoku n; kjke/ ek k l kbz lydl /
xkj / ki g/
m0 i 273005*

आवंटन पत्र सं0 **837** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/4** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	121969.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	403608.00
योग रू0						525577.00

egk lq : 0 **525577.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-12** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh plhd u fl g i q Jh > hwnfl g
fuokl h\$ xk& Mgij; k ckt kj/
ft yk& xkj / ki g A
; i i 10*

आवंटन पत्र सं0 **850** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-12** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	97.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	24353.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	55531.00

योग रू0	79981.00
---------	-----------------

egk l\$: 0	79981.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/5** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh eukt d\$kj tk l oky i\$ Jh jk\$'; le tk l oky
fuokl l\$ x\$e&ypp\$
I gt uok
xkj / ki q/ m0 i0 273209*

आवंटन पत्र सं0 **838** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/5** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	7585.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	156150.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	200335.00

योग रू0	364070.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	5506.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	133576.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	409444.00

योग रू0	548526.00
---------	------------------

egk l\$: 0	912596.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/3** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh jkds'k ; kno iq Lo0 cuokjh ; kno
fuokl h&x&y&lg1 jH iH V&?k?kl jH
I gt uokH/ft yk&xlg / kig
m0 i0 27320s*

आवंटन पत्र सं0 **836** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/3** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	137744.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	137744.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	112430.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	253079.00

योग रू0	365509.00
---------	------------------

egk lq : 0	503253.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xly / ki g vk\$ lxd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlm/ xly / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/2** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

Jherh 'khyk > lli Ruh Jh elgu > lli
fuokl h&303@, / t feuh jst M h esMdy dkyst jlm
okMzua&31/ xly / ki g,
m0 i 273006

आवंटन पत्र सं0 **835** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/2** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	610.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	139812.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	457447.00

योग रू0	597869.00
----------------	------------------

egk lq : 0	597869.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-74** से0 **23** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh ek0 vkQrk i& Jh ek0 t kl le
fuokl h&cf[r; kj/ okMZua 8/
egYk&fut leig/
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **807** दिनांक **14/02/2019** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-74** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	30325.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	173927.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	380100.00

योग रू0	584352.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8837.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	19109.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	27946.00
----------------	-----------------

egk l; : 0	612298.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-22** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vk' l\$'k d\$kj i k M\$ i\$ Jh l\$ l\$'k plh i k M\$
fuokl h\$ x\$ o i h\$ V&c M\$ xgu/
ft yk& xkj / ki g A*

आवंटन पत्र सं0 **819** दिनांक **14/02/2019** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-22** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	130.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						130.00

egk l\$: 0 **130.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-68** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh iznhi dely fu'kn i q Jh jk'k; le fu'kn/
fuokl h\$xt o i k\$V&Hj l k\$
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **815** दिनांक **14/02/2019** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-68** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	26280.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	277442.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	824937.00

योग रू0	1128659.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17069.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	41472.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	58541.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	1187200.00
--------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-32** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh l d; k fl g i Ruh Jh jkds'k fl g
fuokl h&x&t eqkjH i hV&i Hqj/
Fluk&xg gfj; H
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **767** दिनांक **09/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-32** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	52.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1931.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1983.00

egk l; : 0 **1983.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-43** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh f=; qh uljk . k fl g i q Jh ekrk id kn fl g
fuokl l\$xd&/kj\$
i hV&fi i j l\$y h ckt kj/
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **798** दिनांक **18/01/2016** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-43** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	36678.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	177251.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	256515.00

योग रू0 470444.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7115.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	12896.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 20011.00

egk l\$: 0 490455.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk l; / xkj / ki g vk lkd fodkl i h / kdj .
1 DVj & 7 / xhM / xkj / ki g & 273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-61** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

deljh l kuh fl g i q h Jh / k p fl g
fuokl h x k e & d y l o r h d t / e d k u l d ; k 275 /
, u 0 , p 0 & 28 / o k M Z l d ; k k 6 / f i i j h i k V & l g t u o k W
f t y k e x k j / k i g A

आवंटन पत्र सं0 **790** दिनांक **19/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-61** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	220231.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	276917.00
			योग रू0	497148.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7999.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	13922.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 21921.00

egk l; : 0 519069.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-24** से0 **23** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh plh;klkj fl g i# Jh cgek fl g
fuokl h&x&vflMyki kj/ i lV&veVl\$H
rgl hy&l gt uoh
ft yk&xkj/ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **747** दिनांक **23/11/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-24** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	58.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1922.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1980.00

egk l; : 0 **1980.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-7** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vHk d\$kj feJ i\$ Jh j?lp\$ak feJ
fuokl h\$Qyofj; k #Lrei g/
ubZf'koigh dkykdh
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **744** दिनांक **06/10/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-7** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	305.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7918.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						8223.00

egk l\$: 0 **8223.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-58** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh eerk ; kno i Ruh Jh jes k ; kno
fuokl h x k e e f v i k k j l c k x m r j h p
fud V y l x j k n o h e f i j / x k j / k u l f h
x k j / k i g A*

आवंटन पत्र सं0 **788** दिनांक **19/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-58** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	91894.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	520024.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	552280.00

योग रू0 1164198.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17607.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	27765.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 45372.00

egk l x : 0 1209570.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-47** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh vt; d\$kj D; ky i\$ Lo0 egkolj D; ky
fuokl l\$xd & 'k\$upjfg; k ckt kj/
d\$koj / i\$V&l gt uok\$W
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **775** दिनांक **19/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-47** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	61546.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	345059.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	373725.00

योग रू0 780330.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	11801.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	18788.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 30589.00

egk l\$: 0 810919.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-25** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh HMe firleg f=iBh i& Lo0 vke izlk'k frokjH
fuokl h&x&lgt dWM
xkj / kj vkj0d0cl0d0 vKvkeklbZ iH fy0½*

आवंटन पत्र सं0 **748** दिनांक **23/11/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-25** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	162007.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	911660.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	979767.00

योग रू0	2053434.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	31055.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	49256.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	80311.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	2133745.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/7** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh l mhy d qkj ; kno i q Lo0 jkt fhz ; kno
fuokl h x k & Hkl k
i k V & l gt uok
ft y k & xkj / ki g/ m0 i 0 & 273209*

आवंटन पत्र सं0 **840** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/7** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
योग रु0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	1043.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	31874.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0	32917.00
---------	-----------------


egk kx : 0	32917.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



पत्रांक []/सम्पत्ति/नौ- /भू०सं० **S-1/1** से० **23 / 2023-2024** /दिनांक

*Jlerh 'k'k'orh noh i Ruh Jh vheizik'k
fuokl hɛ?k'k j'j
lgt uok
x'j/[k'j] m0 i 0 273209*

आवंटन पत्र सं० **834** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/1** से० **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	0.00
			योग रु0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	159108.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	526022.00

योग रु०	685130.00
---------	------------------

<i>egk</i> lx : 0	685130.00
------------------------------	-----------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर** के खाता संख्या **6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली “वसूली प्रमाण पत्र” (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1 . यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउंडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

dk lq; / xhj / ki g vk\$ l\$xd fodkl iH/kdj. 1
1 DVj&7/ xHMH xhj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/6** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh g"lZxfrk i q Jh foukn dqlj xfrk
fuokl h&100@1/ nboku n; kile/ xlrk i d /
okMzua&70/ xhj / ki g,
m0 i d 273005*

आवंटन पत्र सं0 **839** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/6** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	139752.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	139752.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	114345.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	262493.00

योग रू0	376838.00
---------	------------------

egk l\$: 0	516590.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/8** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh y{eh fl g i Ruh Jh nqzk dely fl g
fuokl h&edku 1 q; k&177/ xte&veVhkh
ft yk&xkj / kj/
m0 i 273212*

आवंटन पत्र सं0 **841** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/8** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	36864.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	36864.00
---------	-----------------

egk l; : 0	36864.00
------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / ki q vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki q&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-1/9** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

Jh e qthzdk i d km i q Lo0 jke fd' hqj
fuokl h\$ xk& fi i j h okM Zua&10/
I gt uoh
ft yk& xkj / ki q/ m0 i d 273209

आवंटन पत्र सं0 **842** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/9** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	68091.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	224488.00
					योग रू0	292579.00

egk l\$: 0 **292579.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-11** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh plhd u fl g i q Jh > huf l g
fuokl h\$ xk& Mgij; k ckt kj/
ft yk& xkj / ki q/*

आवंटन पत्र सं0 **854** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-11** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	25804.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	85230.00

योग रू0	111034.00
---------	------------------

egk l\$: 0	111034.00
-------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-15** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh 'k'kkl ; kno i q Jh Hk gile ; kno
fuokl h&x&Mgfj; k [lm] i kV&feukl
Fluk&l gt uokl
ft yk&xkj / ki g/ m0 i 0 273209*

आवंटन पत्र सं0 **853** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-15** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	23999.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	32782.00
योग रू0						56781.00

egk l\$: 0 **56781.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

dk lq; / xkj / ki g vk\$ l\$xd fodkl i h/kdj. 1
1 DVj&7/ xlmj xkj / ki g&273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-21** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh ulye xqrk i Ruh Jh eukt dely xqrk
fuokl h\$xe&dpsMgjH i hV&gji g cmgV/
ft yk&xkj / ki g
m0 i 27320s*

आवंटन पत्र सं0 **858** दिनांक **14/03/2022** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-21** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	15.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	20308.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00

योग रू0	20323.00
----------------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	17896.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	31127.00

योग रू0	49023.00
----------------	-----------------

egk l\$: 0	69346.00
--------------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-53** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

Jh i wdkh h dely i q Jh t qy fd' lly
fuokl h xte o i h V & H h ki ki
Fluk & cy li ki / ft yk & xkj / ki g
; 01/01/273401

आवंटन पत्र सं0 **885** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-53** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	125.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	10635.00

योग रू0	10760.00
---------	-----------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	163.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	535.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	698.00
---------	---------------

egk l\$: 0	11458.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-18** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh plhk fl g i q h Jh egthz i rki fl g
fuokl h x l e & i k y l h i h V & i k y l h
I gt uok l / ft y k l x l y / k i g
; 0 i 10 & 273209*

आवंटन पत्र सं0 **860** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-18** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	60744.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	62276.00
योग रू0						123020.00
egk lq : 0						123020.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **CS-19** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

Jh vknR e}f'k ki g Jh ykht h e}f'k k
fuokl h&efj yk mQZegj h
xkj / ki g
; 01/01/273013

आवंटन पत्र सं0 **861** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-19** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	72438.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						72438.00

egk l\$: 0 **72438.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **CS-20** से0 **23 / 2023-2024** /दिनांक

*Jh vāḥḥku e}ḥ'k k iḥ Jh vāxṇ iḥ kṇ xḥrk
fuokl hēyppZokMl ḍ; k&15/
ft yk&xkj/ki g
; ḥi 10&273209*

आवंटन पत्र सं0 **862** दिनांक **09/01/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **CS-20** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **09/01/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	08/01/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/01/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	66684.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						66684.00

egk l; : 0 **66684.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **09/01/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-67** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh dpu fl g i Ruh Jh Hk\$ kje fl g
fuokl h&x&nbZ kj / i hV&fi i jk\$ h ckt kj /
Fluk&l gt uokW
ft yk&xkj / ki gA*

आवंटन पत्र सं0 **816** दिनांक **14/02/2019** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-67** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	11231.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	31083.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	177074.00
योग रू0				219388.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	3318.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8902.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						12220.00

egk lq : 0 **231608.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-71** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh food dely fl g i q Jh jlex<h fl g
fuokl h&x& o i hV&i Fljnolh
ft yk&nolj; h
m0 i h*

आवंटन पत्र सं0 **812** दिनांक **14/02/2019** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-71** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	24326.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	139517.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	304896.00

योग रू0	468739.00
----------------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	7089.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	15328.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0	22417.00
----------------	-----------------

egk lq : 0	491156.00
-------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-38** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh eull'k dely xqrk i q Jh l fppnkulh xqrk
fuokl h\$ xk&l ght ulj
l gt uoh
ft yk&xkj / ki g / ; i l l&273209*

आवंटन पत्र सं0 **901** दिनांक **13/03/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-38** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **13/03/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	12/03/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	13/03/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	29782.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	37076.00
योग रू0						66858.00

egk l\$: 0 **66858.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **13/03/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक /सम्पत्ति/नौ- /भू0सं0 **S-48** से0 **23** / **2023-2024** /दिनांक

*Jh vk\$ t\$ oky i& Jh v'kk d\$kj t\$ oky
fuokl h&t sch&14/ Qy\$ ua 7/ rir\$ ry/ x\$rk dkyk\$
f[kjdh, DI V\$ku/ ekyok\$ uxj/
ubZfnYyh nf{k kh fnYyh&110017*

आवंटन पत्र सं0 **910** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-48** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	115439.00

योग रू0	115439.00
---------	------------------

egk l; : 0	115439.00
------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।



पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-51** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

Jh vlt us d\$kj t\$ oky i\$ Jh vfuy d\$kj t\$ oky
fuokl h&edku 1 q; k 186&t h f'ko e\$nj ds ijc/
fcy lhi g/
xkj / ki g&273001

आवंटन पत्र सं0 **909** दिनांक **10/11/2023** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-51** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **10/11/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	09/11/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
			योग रू0	0.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
2. ब्याज दिनांक	10/11/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	115439.00

योग रू0	115439.00
----------------	------------------

<i>egk l\$: 0</i>	115439.00
--------------------	------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **10/11/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-9** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh fiz alk ; mo i Ruh Jh jes'k dphj ; mo
fuokl h&x&cygj/
i hV&l gt uokh
ft yk&xkj / kjA*

आवंटन पत्र सं0 **762** दिनांक **09/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-9** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	205630.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	1058765.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	1360705.00

योग रु0	2625100.00
----------------	-------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	39700.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	68407.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0	108107.00
----------------	------------------

egk l; : 0	2733207.00
-------------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-60** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jh iou dely oekZi Jh ct jax id kn oekZ
fuokl h&8@16/ ds lki g /
I gt uokl / ft yk& xly / ki g
m0 i 273209*

आवंटन पत्र सं0 **789** दिनांक **19/12/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-60** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	25.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	34.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	0.00
योग रू0				59.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00
योग रू0						1.00

egk lq : 0 **60.00**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405** में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0 सं0 **S-21** से0 **23** / **2023-2024** / दिनांक

*Jherh euljek noh i Ruh Jh /kult; i k M
fuokl h&x&c&clw i kj/
i k V&fi i j l&j/
ft yk&xkj / kj A*

आवंटन पत्र सं0 **755** दिनांक **23/11/2015** के माध्यम से गीडा की व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या **S-21** से0 **23** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	42085.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	203286.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	294449.00

योग रू0 539820.00

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	8164.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	14803.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 22967.00

egk lq : 0 562787.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024** को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-1. यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।